

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

क्रमांक: /1405/18/2010
प्रति,

रायपुर, दिनांक सितम्बर 2010

उप संचालक,
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,
खैरागढ़ रोड़ राजनांदगांव,
छत्तीसगढ़ ।

विषय :- छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (सेल्यूलर मोबाईल फोन के लिए अस्थाई टावर
या संरचना का निर्माण) नियम 2010 ।

—00—

उपरोक्त विषय से संबंधित अधिसूचना हिन्दी/अंग्रेजी एवं सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त अनुमति पत्र क्रमांक एफ 10-3/2010/1/5 दिनांक 24 सितम्बर 2010 संलग्न प्रेषित है ।

कृपया अधिसूचना का छत्तीसगढ़ असाधारण राजपत्र दिनांक 25.09.2010 में प्रकाशन कर 30 प्रतियां विभाग को तत्काल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।
(हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना की प्रतियां)

(एस.आर.ठाकुर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2010

पृ. क्र: 5/58/1405/18/2010

प्रतिलिपि :-

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, रायपुर । कृपया उपरोक्त अधिसूचना की एक प्रति संलग्न कर लेख है कि समस्त नगरीय निकायों को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।

Adl.CEO/Adl. Dir. (A)/Adl. Dir. (F)/CE
JD (A)/DD (A)/DD (E)/SD.
Shri

Commissioner
Urban Admn. & Develop.

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

अधिसूचना

रायपुर दिनांक 24/09/2010

क्रमांक : 5062/1405/18/2010 :: छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 317-अ, सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 355 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

: नियम :

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :- (1) ये नियम "छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (सेल्यूलर मोबाईल फोन के लिये अस्थाई टावर या संरचना का निर्माण) नियम 2010" कहलाएंगे।
 (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएँ :- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
 - 1) "अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961)।
 - 2) "आवेदक" से अभिप्रेत है, कोई भी आवेदक जो किसी संस्था या कम्पनी का अधिकृत प्रतिनिधि यथा अध्यक्ष, सचिव, जनरल मैनेजर या किसी अन्य पदनाम का हो, जो किसी नगरपालिका क्षेत्र में दूरसंचार के प्रयोजन हेतु टॉवर/रिले स्टेशन स्थापित करने हेतु इच्छा रखता हो।
 - 3) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, किसी नगरपालिक निगम का आयुक्त।
 - 4) "मुख्य नगरपालिका अधिकारी" से अभिप्रेत है नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत का मुख्य नगरपालिका अधिकारी।
 - 5) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है नगर निगम के मामले में आयुक्त एवं नगरपालिका परिषद् तथा नगर पंचायत के मामले में मुख्य नगरपालिका अधिकारी।
 - 6) "प्रारूप" से अभिप्रेत है इन नियमों के संलग्न प्रारूप (प्रारूपों)।
 - 7) "शासन" से अभिप्रेत है, राज्य शासन।
 - 8) "नगरपालिका क्षेत्र" से अभिप्रेत है, ऐसा प्रादेशिक क्षेत्र जो किसी नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की सीमा के भीतर आता हो।
 - 9) "नगर पालिका" से अभिप्रेत है तत्समय विद्यमान नगरपालिक निगम, नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत।
 - 10) "अधिभोगी" से अभिप्रेत है, किसी भी भूमि या भवन का स्वामी।

- 11) "अनुज्ञा से अभिप्रेत है, इन नियमों से सुसंगत एवं उसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली/प्रदान की गई, कोई भी अनुज्ञा या अनुमति ।
- 12) "सार्वजनिक स्थान" से अभिप्रेत है, कोई भी ऐसा स्थान जो निजी सम्पत्ति न हो और जो जनता के उपयोग के लिए खुला हो, चाहे ऐसा स्थान नगरपालिका में वेष्टित हो या न हो,
- 13) "टॉवर" से अभिप्रेत है सेल्यूलर फोन दूरसंचार प्रणाली हेतु स्थापित कोई अस्थाई टॉवर/ संरचना ।

3. विस्तार तथा लागू होना:- ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त नगरपालिक निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर प्रचायकों में प्रवृत्त होंगे ।

4. टॉवर स्थापित करने अथवा उसके नवीनीकरण हेतु आवेदक, प्रारूप - "एक" में आवेदन नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे :-

- 1) भवन स्वामी की सहमति तथा उसके साथ करारनामा ।
- 2) इन नियमों द्वारा यथा विहित अनुज्ञा शुल्क/नवीनीकरण शुल्क जमा करने के साक्ष्य स्वरूप रसीद ।
- 3) रिक्त भूमि में टॉवर स्थापित किया जाना प्रस्तावित होने की दशा में भूमि स्वामी की सहमति तथा उसके साथ करारनामा ।
- 4) टॉवर की स्थापना हेतु भवन तथा टॉवर की सम्बद्ध ड्राइंग तथा संरचनात्मक सुरक्षा (स्ट्रक्चरल सेफ्टी) व स्थिरता से संबंधित प्रमाण पत्र किसी क्वालीफाईड स्ट्रक्चरल इंजीनियर से तैयार कराना, जो निम्नलिखित किसी संस्था का हो :-
 1. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर
 2. किसी भी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से प्रमाण पत्र ।
 अन्य कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जायेगा ।

- 5) हाईटेंशन विद्युत लाईन के समीप टॉवर होने की स्थिति में यथार्थ दूरी का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए ।
- 6) क्षतिपूर्ति बंधपत्र में यह स्पष्ट वर्णित होना चाहिए कि आवेदक, किसी भी हानि या कारित क्षति या किसी सिविल या आपराधिक कार्यवाहियों के परिणाम के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा ।
- 7) जहां कहीं भी आवश्यक हो, वहां सर्विस प्रदायकर्ता एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया के एयर ट्रेफिक कंट्रोलर से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त तथा प्रस्तुत करेगा । इसी प्रकार प्राचीन/एतिहासिक इमारतों के पास टॉवर स्थापित करने की दशा में पुरातत्व विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर संलग्न करना होगा ।
- 8) संवेदनशील भवनों यथा मंत्रालय, विधानसभा, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर टॉवर संस्थापित किया जाना प्रस्तावित होने की स्थिति में संबंधित विभाग, गृह विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेंगे तथा उसे संलग्न कराना होगा ।

- (i) प्रत्येक टॉवर/रिले स्टेशन के ऊपर लालबत्ती सिग्नल स्थापित किया जाना चाहिए और प्रत्येक टॉवर/रिले स्टेशन के लिए त्रुटित चालक यंत्र (लाईटनिंग कंडक्टर) स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ii) अग्निदुर्घटना से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।
- (iii) टॉवर के पास लगे जनरेटर सेट द्वारा उत्पन्न वायु तथा ध्वनि प्रदूषण छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल के मानदंड के अनुसार निश्चित होना चाहिए।

6. अनुज्ञा शुल्क/नवीनीकरण शुल्क तथा जहां हो, वहां समझौता शुल्क निम्नानुसार होगा:-

नगर पालिका	अनुज्ञा शुल्क (एक बार)	वार्षिक नवीनीकरण शुल्क	समझौता शुल्क
नगरपालिक निगम	रु. 75,000/-	रु. 15,000/-	अनुमति शुल्क का 15 से 50 गुणा
नगरपालिका परिषद	रु. 50,000/-	रु. 10,000/-	
नगर पंचायत	रु. 25,000/-	रु. 5,000/-	

7. पश्चात्तवर्ती वर्षों के लिए नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद अथवा नगर पंचायत के द्वारा यथा स्थिति प्रभारित किये जाने वाली अनुज्ञा शुल्क, वार्षिक नवीनीकरण शुल्क तथा समझौता शुल्क में, राज्य शासन समय समय पर वृद्धि कर सकेगा।
8. टॉवर (टॉवरों) की स्थापना संबंधी शिकायत प्राप्त होने की दशा में उसे जांच पड़ताल (अनुसंधान) हेतु महानिदेशक, सेल्यूलर ऑपरेटरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और महासचिव, एसोसिएशन ऑफ बेसिक टेलीकॉम सर्विसेस को निर्दिष्ट किया जावेगा एवं उनसे प्राप्त अनुशंसाओं के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
9. इन नियमों के अंतर्गत स्वीकृत की गई किसी भी अनुज्ञा के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 तथा इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट, 1933 के अंतर्गत जारी किसी आदेश को प्रभावित करेगी।
10. स्थानीय नगरीय निकाय को समस्त ऐसे टॉवरों/संरचनाओं पर कार्यवाही करने एवं उसे हटाने का अधिकार होगा, जिसे जनहित एवं सुरक्षा या नियमों के विरुद्ध समझा जाये।
11. प्रस्तावित टॉवर के आस पास यदि कोई उच्च दाब, विद्युत लाईन या निम्नदाब विद्युत लाईन या विद्युत के वितरण के लिए प्रयुक्त कोई अन्य विद्युत लाईन होने की दशा में उक्त विद्युत लाईनों तथा प्रस्तावित टॉवरों के बीच में सुरक्षित दूरी को बनाये रखने का दायित्व आवेदक का होगा जैसा कि भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित किया जाये।

12. भवनों पर टॉवर स्थापित करने हेतु समस्त अन्य शर्तों के पालन होने के पश्चात् नगर पालिका से अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी। बिना अनुज्ञा प्राप्त भवनों पर यदि टॉवर लगाया जाता है, तब ऐसी दशा में ऐसे टॉवर (टॉवरों) को विधि सम्मत प्रक्रिया के अधीन हटायें जाने के दौरान हुए किसी नुकसान के लिये नगर पालिका जिम्मेदार नहीं होगा तथा इस संबंध में सेल्यूलर ऑपरेटर, नगर पालिका को क्षतिपूर्ति करेगा।
13. शैक्षणिक संस्थानों तथा अस्पतालों/डिस्पेंसरी द्वारा प्रयुक्त भवनों में टॉवर की स्थापना के लिए अनुज्ञा स्वीकृत नहीं की जायेगी।
14. मोबाईल टॉवर/रिले टॉवर लगाने हेतु आरक्षित 10 प्रतिशत भूमि तथा मार्गों के लिये चिह्नित भूमि के अंतर्गत पार्क/खुले स्थानों के लिए आरक्षित भूमि को छोड़कर किसी भी खुली भूमि के संबंध में अनुज्ञा स्वीकृत की सकती है। किसी योजना के अंतर्गत 10 प्रतिशत आरक्षित भूमि पार्क/खुले स्थान के संबंध में अनुज्ञा स्वीकृत नहीं की जायेगी।
15. अनुज्ञा का प्रमाणपत्र इन नियमों के संलग्न प्रारूप -दो में जारी किया जायेगा तथा नगरपालिका को यह अधिकार होगा कि कोई स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्य शर्तें आरोपित करे। आवेदक, नगर पालिका द्वारा समय-समय पर जारी समस्त निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।
16. अनुज्ञा की स्वीकृति आवेदन के अमान्य किये जाने की दशा में नियम 6 के अधीन जमा किये गये अनुज्ञा शुल्क की राशि, उसमें से 20 प्रतिशत राशि की कटौती करने के पश्चात् आवेदक को वापस की जाएगी।
17. इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व जारी कोई भी आदेश या निर्देश, इन नियमों के अंतर्गत जारी आदेश या निर्देश समझे जायेंगे, जहाँ तक इन नियमों से असंगत न हो।

परन्तु, ऐसे नियमों के अधीन जारी किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के अंतर्गत जारी किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

18. टॉवर का अधिकतम उपयोग और क्षेत्र में टॉवरों की संख्या कम करने की दृष्टि से, एकल टॉवर पर उसी या अन्य कम्पनी के द्वारा एक से अधिक एरियल (एन्टेना) संस्थापित किया जा सकेगा। ऐसी दशा में प्रत्येक इच्छुक कम्पनी को, विद्यमान टॉवर में अपने एरियल (एन्टेना) संस्थापित करने हेतु नियम 6 के अंतर्गत विहित अनुज्ञा शुल्क का 60 प्रतिशत जमा करने के पश्चात् नगर पालिका से अग्रिम अनुमति अभिप्राप्त करना अपेक्षित होगा, नवीनीकरण शुल्क की गणना भी तदनुसार होगी।
19. केबल लाईन बिछाने हेतु सड़क खोदने की अनुमति देने तथा टॉवर स्थापित करने हेतु अनुज्ञा स्वीकृत के लिए सक्षम प्राधिकारी सशक्त होंगे।

20. यदि नगर पालिका आवेदन की प्रस्तुति के दो माह के भीतर अपने निर्णय से आवेदक को संसूचित करने में असफल रहती है तो यह मान लिया जायेगा कि अनुज्ञा दे दी गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(अमित कटारिया)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

प्रारूप - एक
(देखिये नियम 4)

सेल्यूलर फोन के लिये टावर स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

1. आयुक्त
नगर पालिक निगम
.....
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत
.....

1. मैं/हम मेसर्स की ओर से आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि हैं और निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत करते हैं ।

1. नियम के अंतर्गत निकाय क्षेत्र में सेल्यूलर फोन टावर स्थापना की अनुमति हेतु ।
2. विद्यमान अनुमति क्र दिनांक जो दिनांक को समाप्त हो रही हो के नवीनीकरण हेतु ।
3. विद्यमान टावर में अतिरिक्त एन्टीना लगाये जाने की अनुमति हेतु ।
2. आवेदन के समर्थन में निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत है ।

1	आवेदक का पूरा नाम पता एवं संपर्क सूत्र	
2	संरचना	
3	व्यवसाय का विवरण	
4	आयकर पैन नम्बर	
5	आवेदक के स्थानीय प्रतिनिधि का पता एवं फोन नम्बर	
6	भारत सरकार द्वारा जारी संचार सेवा प्रदाता का पंजीयन संबंधी विवरण	
7	टॉवर स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित स्थल का विवरण	

8	यदि प्रस्तावित स्थल सर्वेदनशील है तो उसका विवरण	
9	टॉवर स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित स्थल / भवन का विवरण	
10	प्रस्तावित स्थल/भवन के भूमि स्वामी/भवन स्वामी का नाम एवं पता	
11	प्रस्तावित टॉवर का भौतिक मानदंड	
12	यदि विद्यमान टॉवर में अतिरिक्त एन्टीना प्रस्तावित हो तो - अ) विद्यमान टॉवर का विवरण एवं अनुज्ञा संबंधी विवरण	
13	प्रस्तावित स्थल एवं आस पास गुजरने वाली एच. टी./एल.टी. ओवर हेड लाईन एवं सर्विस लाईन का विवरण	
14	टॉवर के साथ स्थापित किए जाने वाले जनरेटर व अन्य सहायक उपकरणों का विवरण	
15	आवेदन के साथ संलग्नकों का विवरण	
16	जमा कराए गए अनुज्ञा/ नवीनीकरण शुल्क का विवरण	
17	अन्य कोई जानकारी जो आवेदक उपलब्ध कराना चाहें	

मेरे / हमारे द्वारा नियमों को पढ़कर समझ लिया गया है एवं उनका पालन करने के लिये बाध्य है । उपरोक्त हमारे द्वारा प्रदाय की गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार सही एवं सत्य है ।

भवदीय

आवेदक / प्रतिनिधि का नाम
पदनाम एवं सील सहित हस्ताक्षर

प्रारूप - दो
(देखिये नियम 17)
अनुज्ञा प्रमाण - पत्र

दिनांक

अनुज्ञा क्रमांक

नियम के अंतर्गत श्री / मेसर्स
को सेल्यूलर फोन टॉवर के स्थापित किए जाने हेतु निम्नलिखित स्थान और नियम
शर्तों के अंतर्गत अनुज्ञा प्रदान की जाती है :-

1. टॉवर की स्थिति

अनुज्ञा की नियम एवं शर्तें

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं सील

क्षतिपूर्ति बंधपत्र

मैं आत्मज
निवासी में
की ओर से यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र निष्पादित करता हूँ। यह है मेरे द्वारा श्री
के भूखंड/भवन जो कि में खसरा क्रमांक
में पर स्थित है, पर सेल्यूलर टावर स्थापित करने हेतु
भूखंड / भवन स्वामी की सहमति के साथ आयुक्त नगर पालिक निगम
...../मुख्य नगर पालिका अधिकारी के
समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

यह कि सेल्यूलर टावर स्थापना की अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु मैं यह क्षतिपूर्ति करने का
वचन देता हूँ कि नगर पालिक निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत को किसी
न्यायालयों / संवैधानिक संस्थाओं में परिवार की स्थिति से मुक्त रहेगा, एवं
अग्निदुर्घटनाओं या कर्मचारियों की लापरवाही और प्राकृतिक/अन्य कारणों से उत्पन्न
आपदा/दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति, हानि टूट-फूट से हुए नुकसान की पूर्ण
जिम्मेदारी रहेगी।

मैं यह भी अभिलिखित करता हूँ कि क्षतिपूर्ति बंधपत्र की उपरोक्त नियम/शर्तों का
पालन करने हेतु कंपनी बाध्य रहेगी।

हस्ताक्षर/सील
आवेदक/अधिकृत प्रतिनिधि
फर्म/कंपनी

(पचास रुपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित)

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. भवन स्वामी की सहमति तथा करारनामा
2. नियम में वर्णित/ निर्धारित की गई अनुज्ञा शुल्क/नवीनीकरण शुल्क जमा करने के प्रमाण स्वरूप रसीद
3. रिक्त भूमि में स्थापित किये जाने की स्थिति में भू-स्वामी की सहमति तथा एग्रीमेंट की प्रतिलिपि ।
4. टॉवर स्थापना हेतु भवन तथा टॉवर की आवश्यक ड्राइंग तथा स्ट्रक्चरल सेफ्टी व स्थिरता का प्रमाण पत्र किसी क्वालीफाईड स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो निम्नलिखित किसी संस्था का हो :-
 1. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर
 2. किसी भी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अन्य किसी का प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जायेगा ।
5. टावर के हाईटेशन लाईन के समीप होने की स्थिति में बीच की दूरी का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए ।
6. किसी प्रकार की क्षति अथवा दुर्घटना के संबंध में क्षतिपूर्ति बंधपत्र (indemnity) संलग्न किया जाना चाहिए जिसमें टॉवर से होने वाले किसी भी प्रकार की क्षति, हानि, सिविल अथवा अपराधिक प्रकरण के लिये आवेदक पूर्ण जिम्मेदार हो ।
7. जहां आवश्यक हो वहां सर्विस प्रदायकर्ता एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एयर ट्रेफिक कंट्रोलर से अनापत्ति प्राप्त करेगा । इसी प्रकार प्राचीन काल/एतिहासिक इमारतों के पास टॉवर स्थापित करने के पूर्व पुरातत्व विभाग अथवा संबंधित विभाग से अनापत्ति लिया जाकर आवेदन के साथ संलग्न करना होगा ।
8. इसी प्रकार सुरक्षा की दृष्टि से संवेदशील भवनों यथा मंत्रालय, विधानसभा, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, उच्च न्यायलय के 100 मीटर की परिधि में मोबाईल टॉवर लगाया जाना प्रस्तावित हो तो संबंधित विभाग, गृह विभाग से अनापत्ति लिया जाकर आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए ।

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
URBAN ADMINISTRATION & DEVELOPMENT DEPARTMENT
D.K.S. BHAWAN, RAIPUR MANTRAAY

NOTIFICATION

Raipur, Dated 24/09/2010

No. 5062/1405/18/2010 :: In exercise of the powers conferred by section 317-A read with section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) and section 355 and 356 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby frames the following rules, namely :-

RULES

1. **Short Name and Commencement :-** (1) These rules may be called the "Chhattisgarh Municipal Corporation (Erection of Temporary Tower or Structure for Cellular Mobile Phone) Rules 2010.
(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. **Definitions :-** In these rules, unless the context otherwise requires :-
 - 1) "Act" means the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961).
 - 2) "Applicant" means any applicant who as Chairman, Secretary, General Manager, or any other designation is an authorised representative of an institution or a Company, intends to set up a tower/relay station in the Municipal area for the purpose of telecommunication.
 - 3) "Commissioner" means the Commissioner of a Municipal Corporation.
 - 4) "Chief Municipal Officer" means the Chief Municipal Officer of a Municipal Council or Nagar Panchayat.
 - 5) "Competent Authority" means the Commissioner in the case of Municipal Corporation and Chief Municipal Officer in the case of Municipal Council and Nagar Panchayat.
 - 6) "Format" means the format (s) annexed to these rules.
 - 7) "Government" means the State Government.
 - 8) "Municipal Area" means such territorial area as falls under the Municipal Corporation or the Municipal Council or Nagar Panchayat Limits.
 - 9) "Municipality" means the Municipal Corporation or the Municipal Council or Nagar Panchayat, for the time being in existence.
 - 10) "Occupant" means the owner of any land or building.
 - 11) "Permit" means any permit or consent to be granted or granted in consonance with and under these rules.
 - 12) "Public Place" means any place which is not a private property and which is open for use by the public irrespective of whether such place belongs to the Municipality or not.
 - 11) "Tower" means any temporary tower/structure erected for the cellular phone telecommunication system.

3. **Extent and Applicability** :- These rules shall be in force in all Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats in the State of Chhattisgarh.

4. An applicant desirous of erecting a tower or renewal thereof shall submit to the Municipal Office an application in Format-1, attaching thereto the following documents :-

- 1) Consent of the owner of the building and the agreement with him.
- 2) Receipt showing evidence of having paid the Permit Fee/Renewal Fee as prescribed by these Rules.
- 3) In case the tower is proposed to be erected on a vacant land, consent of the owner of the land and the agreement with him.
- 4) Relevant drawing of the building and the tower for erection of the tower and certificate regarding structural safety and stability from a qualified structural engineer from any of the following institutions :-

- a. National Institute of Technology, Raipur.
- b. Certificate from any Government Engineering College. No other certificate shall be accepted.

5) In case the tower is in the proximity to a High Tension Power Line, the precise distance must be clearly mentioned.

6) Indemnity Bond clearly stating that the applicant will be solely responsible for any loss or damage caused or consequences flowing from any civil or criminal proceedings.

7) Wherever necessary, the service provider must obtain and produce No-Objection Certificate (NOC) from the Air Traffic Controller of the Airports Authority of India. Likewise in case of erecting towers near ancient/historical buildings; NOC obtained from the Archaeological Department must be attached.

8) In case the tower is proposed to be erected within a radial distance of 100 meters from sensitive buildings like Mantralaya, Vidhan Sabha, Chief Minister's Residence, High Court and District Court, a NOC from the relevant department will have to be obtained and attached.

- 5-
- (1) A red signal light must be set atop every tower/relay station and a lightning conductor must be installed for every tower/relay station.
 - (2) Adequate arrangements must be made to prevent fire accidents.
 - (3) The air and noise pollution caused by the generator set near the tower must conform to the norms of Chhattisgarh State Environment Conservation Board.

- 6- The Permit Fee/Renewal Fee and wherever applicable, the Settlement Fee shall be as follows :-

Municipality	Permit Fee (One Time)	Annual Renewal Fee	Settlement Fee
Municipal Corporation	Rs.75,000=00	Rs. 15,000=00	15 to 50 times of The Permit Fee
Municipal Council	Rs. 50,000=00	Rs. 10,000=00	
Nagar Panchayat	Rs. 25,000=00	Rs. 5,000=00	

7. For subsequent years the State Government may from time to time enhance the permit fee, annual renewal fee and settlement fee to be charged by the Municipal Corporation, Municipal Council or Nagar Panchayats as the case may be.
8. In case of complaints regarding erection of tower(s), the same shall be referred to the Director General, Cellular Operators' Association of India and General Secretary, Association of Basic Telecom Services for investigation and further action will be taken in accordance with the recommendations received from them.
9. Any permit granted under these rules will not be construed as affecting any order issued under the Indian Telegraph Act, 1885, Indian Electricity Act, 2003 and the Indian Wireless Telegraphy Act 1933.
10. The local urban body shall have the power to take action and remove all such towers/structures which are considered to be against public interest and safety or against the Rules.
11. In case there is any High Tension electric line or low tension electric line or any other electric line used for the distribution of electricity in the vicinity of the proposed tower, then it shall be obligation of the applicant to maintain such safe distance between the aforesaid electric lines and the proposed towers as may be defined by the Indian Electricity Act, 2003.
12. The permit to erect tower on buildings shall be granted by the Municipality after due compliance of all the other conditions. In case tower(s) are erected on buildings without permit the Municipality will not be responsible for any damage during removal of the tower(s) under process of law, and the Cellular Operator shall indemnify the Municipality in this regard.
13. No permit shall be granted for erection of tower on buildings used by Educational Institutions and Hospitals/Dispensaries.
14. The Permit to erect mobile tower/relay tower may be granted in respect of any open land except lands reserved for parks/open spaces under 10% land reservation, and lands marked for roads. No permit shall be granted in respect of any land reserved as 10% park /open space under any scheme.

Certificate of permit shall be issued in Format - 2 annexed to these Rules and the Municipality shall have power to impose such other conditions having regard to local conditions. The applicant will be bound to comply with all instructions issued by the Municipality from time to time.

16. In the event of rejection of the application for grant of Permit, the Permit Fee deposited under rule 6 will be refunded to the applicant after deducting 20% thereof.

17. Any order or instruction issued prior to the coming into force of these rules shall be deemed to be orders and instructions issued under these rules in so far as they are not inconsistent with these rules.

Provided, that any order issued or action taken under such rules shall be deemed to be order issued or action taken under these rules.

18. More than one antenna of the same or other company may be installed on a single tower with a view to optimize the use of a tower and to minimize the number of towers in the area. In such cases every company desiring to install its antenna on an existing tower will be required to obtain permit in advance from the Municipality after depositing 60% of the Permit Fee prescribed under rule 6. Renewal Fee shall likewise be computed.

19. The Competent Authority shall be empowered to grant permission for digging up roads for laying cable and for granting the Permit for erection of the tower.

20. If the Municipality fails to communicate its decision to an applicant within two months of submission of the application, the Permit shall be deemed to have been granted

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh

(Amit Kataria)

Deputy Secretary

Government of Chhattisgarh

Urban Administration & Department

Format-I
(See Rule-4)

Application for Erection of Cellular Phone Tower

To

1. Commissioner
Municipal Corporation

2. Chief Municipal Officer
Municipal Council / Nagar Panchayat

I/We, representing the applicant M/s (Name of the Service Providing Company) and duly authorized by them to submit this application under (Name of the rules) hereby submit this application for –

- ☐ Grant of Permit under rule ____ for erection of a Cellular Phone Tower in the Municipal area under you
- ☐ Renewal of existing Permit No _____ dated _____ due to expire on _____
- ☐ Grant of Permit to install an additional antenna on an existing tower.

2. Relevant information in support of my application are as follows:

1	Full Name, Address and Contact details of the applicant	
2	Constitution	
3	Line of Business of the applicant	
4	Income Tax PAN Number	
5	Name and Contact details of the Local Representative of the Applicant	
6	Details of the GOI licence granted to function as a telecommunication service provider.	
7	Location where the Tower is proposed to be erected	
8	Is the proposed site a sensitive area? If yes,	

	details thereof.	
9	Description of the building/land where the tower is proposed for erection	
10	Name and contact details of the owner(s) of the building/land where the tower is proposed to be erected:	
11	Physical specifications of the tower proposed.	
12	Is the application for installing an additional antenna in an existing tower? If yes, details of the existing tower and the Permit under which it was erected.	
13	Are there OH HT/LT Electric Lines and/or Service Lines in the proximity of the proposed/existing tower?	
14	Details of the Generator and other auxiliary equipment proposed to be installed with the tower	
15	Particulars of supporting documents attached	
16	Particulars of payment of Permit Fee / Renewal Fee	
17	Any other information the applicant wishes to furnish in support of his application	

I / we confirm that –

- (1) I/we have read and understood the _____ rules, and agree to abide by these.
- (2) The information furnished by me/us is true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

Place
Date

Signature, Name, designation and seal of
the applicant's representative

Format-II
(See Rule 17)

Certificate of Permit

Dated _____

Permit No. _____

Under _____ Rules, 2010, permission is granted to M/s _____
for erection of a Cellular Phone Tower at the following location on the terms and
conditions mentioned below:

Location of the Tower	
-----------------------	--

Terms and Conditions of Grant of Permit:

1

2

3

4

5

6

Seal

Signature of the Competent Authority

INDEMNITY BOND

This deed of indemnity is made by/shri -----
S/o Shri ----- Resident of -----
----- on the behalf of M/s -----
----- . There as I am applied for erection of cellular tower in the plot of / on
the building of Shri ----- (plot/ Building owner)
situated at -----
Khasra no. ----- City ----- to
commissioner / CMO- ----- along with the consent of land
owner before said .

And whereas for the sanction of permission for erection of cellular tower, I hearby undertake indemnity and keep harmless the Nagar Palik Nigam/ Nagar Palika Parishad/ Nagar Panchayat from all types of proceeding in courts and other constitutional authorities and all times to hold myself liable for all damages, losses, pilferage due to fire or negligence of the workers, or any type of the natural / other calamities and accidents

I further state that the company shall always abide by the foresaid terms & conditions of this deed of indemnity

Signature with Seal
Applicant / Authorised
Representative of the
Company / Firm

(On 50/- Non judicial stamp duty Notarized)

List of inclosers

1. Consent of the owner of the building and the agreement with him.
2. Receipt showing evidence of having paid the permit Fee/Renewal Fee as prescribed by these Rules.
3. In case the tower is proposed to be erected on a vacant land, consent of the owner of the land and the agreement with him.
4. Relevant drawing of the building and the tower for erection of the tower and certificate regarding structural safety and satiability from a qualified structural engineer from any of the following institutions :-
 - a. National Institute of Technology, Raipur.
 - b. Certificate from any Government Engineering College. No other certificate shall be accepted.
5. In case the tower is in the proximity to a High Tension Power Line, the precise distance must be clearly mentioned.
6. Indemnity Bond clearly stating that the applicant will be solely responsible for any loss or damage caused or consequences flowing from any civil or criminal proceedings.
7. Wherever necessary, the service provider must obtain and produce No-Objection Certificate (NOC) from the Air Traffic Controller of the Airports Authority of India. Likewise in case of erecting towers near ancient/historical buildings, NOC obtained from the Archaeological Department must be attached.
8. In case the tower is proposed to be erected within a radial distance of Chief Minister's Residence, High Court, a NOC from the relevant department will have to be obtained and attached.